# राज्य पोषित योजनाएं

## उत्तराखण्ड सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि योजना

उत्तराखण्ड सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि एक शत प्रतिशत राज्य वित्त पोषित योजना है। जिसके अन्तर्गत 74 सीमांत तथा पिछड़े विकास खण्डों को आच्छादित किया जायेगा. चयनित विकास खण्डों के ऐसे ग्रामों को प्राथामिकता दी जायेगी जहॉ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।

**मार्गदर्शक सिद्धांतः–**

1. उत्तराखण्ड सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि का उपयोग–सीमांत तथा पिछड़े विकास खण्डों की ऐसी मूलभूत आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तथा ग्रामीण विकास की श्रृंखलाओं की ऐसी टूटी कड़ियों को जोड़ने के लिए है जो अन्य योजनाओं से आच्छादित नहीं हो पा रही है. यदि अन्य विभागीय योजनाओं के माध्यम से इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव हो, तो ऐसी दशा में उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछडा विकास निधि का उपयोग नहीं किया जायेगा. यदि अन्य योजनाओं से आच्छादन सम्भव होने के उपरान्त भी वर्णित कार्य नहीं हो पा रहा है और कार्य सामुदायिक विकास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो, तो ऐसे कार्यों संस्तुति करते समय विकास खण्ड स्तरीय समिति को उत्तराखण्ड सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि के तहत् उक्त योजना की स्वींकृति करने पर समुचित तथा तर्कसंगत आख्या सहित संस्तुति की जायेगी. जिस पर अग्रिम निर्णय का पूर्ण अधिकार जनपद स्तरीय राज्य स्तरीय समिति का होगा.

1. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि का विभिन्न स्तर (राज्य/जनपद/विकासखंड) पर कार्यान्वयन मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था के अर्न्तगत ही किया जायेगा. नोडल अधिकारी द्वारा विभिन्न विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अन्य सम्बन्धित विभाग के साथ बैठक आयोजित किया जायेगा. जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु अन्य विभागीय योजनाओं के साथ केन्द्राभिसरण तथा युगपतिकरण किया जा सकेगा. जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु अन्य विभागीय योजनाओं के साथ केन्द्राभिसरण तथा युगपतिकरण किया जा सकेगा व किये जाने वाले कार्यो की द्विधाभाव पर रोक लगेगी। अन्य योजनाओं की निधि के साथ केन्द्राभिसरण तथा युगपतिकरण किये जाने की दशा में अन्य स्रोतों से प्राप्त निधि को पहले प्रयोग में लाना चाहिए ताकि कार्य पूर्ण करने में तथा अन्तराल भरने में इस विधि का उपयोग किया जा सके. केन्द्राभिसरण तथा युगपतिकरण वाले प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जायेगी.
2. उत्तराखण्ड सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन तृणमूल स्तर (Grassroot level) पर पूर्णरूप से पंचायती राज संस्थाओं/स्वंय सहायता समूहों/स्वंय सहायता समूहो फैडरेशन/ स्वायत्य परिषदों/सम्बन्धित रेखीय विभागों/ राज्य सरकार के संस्थानों/ संस्थानो आदि द्वारा सार्वजनिक भागीदारी तथा विकेन्द्रीकृत आधार पर किया जायेगा। इनके द्वारा अनुमन्य कार्यों के प्रस्ताव तैयार स्वीकृति हेतु कर विकास खण्ड स्तरीय समिति को प्रस्तुत किये जायेंगें.

3. इस योजना के तहत सुसंगत दिशा निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों/सम्बन्धित रेखीय विभागों/राज्य सरकार के संस्थानों/निगम/परिषद/बोर्ड के माध्यम से परियोजनाओं/योजनाओं को विकासखण्ड स्तर पर संकलित किया जायेगा तथा उप–जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकाखण्ड स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उक्त प्रेषित परियोजनाओं परीक्षण कर उचित प्रस्ताव सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को प्रेषित किये जायेगें, जिसे जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग कर चयनित योजनाएं अन्तिम अनुमोदन हेतु ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करेगी.
4. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय Empowered कमेटी गठित की गयी है. उक्त कमेटी के सम्मुख योजनाओं का प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत कर योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी.
5. सीमान्त तथा पिछड़े विकास खण्डों के गांवों में मूलभूत सामाजिक तथा भौतिक अवस्थापना सुविधाओं/अन्य आवश्यक सुविधाओं के मौजुदा ढांचे के अन्तराल के आंकलन हेतु एक आधारभूत सर्वेक्षण किया जायेगा. जिससे चयनित विकास खण्डों के गांवों में आवासित जन मानस के सामाजिक आर्थिक विकास विभाग हेतु तदनुरूप बृहद कार्ययोजना तैयार हो सकेगी एवं भविष्य में आवश्यकतानुरूप विकास हेतु विभिन्न रेखीय विभागों तथा ग्राम्य विकास विभाग की अन्य केन्द्र तथा राज्य पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन/केन्द्राभिसरण तथा युगपतिकरण में भी मदद करेगा.
6. योजना की धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में पृथक से आवर्ती ब्यय हेतु नही किया जायेगा.
7. यदि केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी ऐसे ग्रामीण विकास संबधी कार्यक्रम /योजना के क्रियान्वयन हेतु अवमुक्त की जाने वाली किस्त/धनराशि में केन्द्र या राज्य सरकार स्तर पर विलम्ब होता है और धनराशि के विलम्ब होने से संबधित कार्यक्रम/योजना के क्रियान्वयन पर कुप्रभाव पड़ रहा हो तो ऐसी दशा में इस निधि से धनराशि के उपयोग की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जायेगी कि संबधित योजना/कार्यक्रम के मद में राज्य अथवा केन्द्र से किस्त प्राप्ति/अवमुक्ति उपरांत उस धनराशि का समायोजन तत्काल उत्तराखण्ड सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि के खाते में कर दिया जायेगा.
8. प्रत्येक जनपद द्वारा इस निधि के तहत सृजित परिसंम्पतियों की सूची तैयार की जायेगी जिसका उपयोग विश्लेषणात्मक प्रायोजनों हेतु किया जायेगा. साथ ही संबधित जनपदों द्वारा क्रियान्वित की जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं का विवरण तथा सफलता की कहानियों/अभिनव प्रयास संक्षिप्त नोट तथा फोटोग्राफ सहित राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा. जिससे इन योजनाओं की प्रतिकृति अन्य जनपदों में भी किये जाने हेतु सूचनाओं का आदान–प्रदान हो सके. इसके अतिरिक्त इस निधि के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर सृजित परिसंम्पतियों का ब्यौरा ग्राम सभा के परिसम्पति पंजिका में दर्ज किया जायेगा.
9. विभाग द्वारा गांव को एक बुनियादी इकाई मानते उपयुक्त सूचना प्रबंधन तंत्र विकसित किया जायेगा. इस सूचना प्रबन्धन तंत्र को जनपद स्तर पर बेब आधारित नियमित अपडेट किये जाने की व्यवस्था की जायेगी. ताकि निधि के अन्तर्गत किये गये/किये जा रहे कार्यों की अद्यतन प्रगति आनलाइन प्राप्त की जा सके.

10. जनपद को कुल आवांटित धनराशि का अधिकतम 0.5 प्रतिशत की धनराशि का उपयोग प्रशासनिक कार्यो हेतु जनपद तथा संबधित विकासखंड द्वारा किया जा सकेगा। प्रशासनिक मद में मात्राकृत धनराशि का प्रयोग, इस निधि के कार्यों हेतु स्टेशनरी क्रय तथा इस निधि के अन्तर्गत किये गये कार्यों के मूल्यांकन अनुश्रवण में ही ब्यय किया जा सकेगा.
11. चयनित विकासखण्डों में प्राकृतिक आपदा यथा बाढ़, भूकम्प, तूफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन आदि जैसी आपदाओं से ग्रसित क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यों हेतु भी इस निधि का उपयोग किया जायेगा बशर्ते आपदा प्रबंधन हेतु अन्य विभागीय/शासकीय सहायता प्राप्त कार्यो के साथ इस निधि की धनराशि के उपयोग में द्विधाभाव न हो.
12. केन्द्र अथवा राज्य सरकार की ऐसी योजनाओं जिनमें राज्य सरकार का अंश समाहित हो, पर राज्यांश के रूप में इस निधि का उपयोग नहीं किया जायेगा अपितु यदि आवश्यक हो तो बिन्दु 8 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार इस निधि का उपयोग किया जा सकेगा.
13. शत प्रतिशत केन्द्र पोषित योजनाओं के साथ इस निधि का उपयोग नही किया जायेगा.
14. इस निधि के उपयोग के नियमों/मार्गदर्शी सिद्वांतों/अनुमन्य तथा गैर अनुमन्य कार्यो आदि पर संशोधन, मार्गदर्शी सिद्धांतो/नियमों आदि में अवक्रमण/प्रतिस्थापन संबंधी आदि निर्णय इस निधि हेतु राज्य स्तर पर गठित Empowered कमेटी के अनुमोदनोपरांत लिया जायेगा. यदि नीतिगत निर्णय/संसोधन किया जाना नितांत आवश्यक हो तथा इम्पावर्ड कमेटी की बैठक आहूत करने में समय लग रहा हो, तो ऐसी दशा में प्रशासनिक विभाग द्वारा अध्यक्ष इम्पावर्ड कमेटी की आगामी बैठक में इसका अनुमोदन लिया जायेगा.
15. इस निधि के अन्तर्गत व्यक्तिगत कार्य न कर सामुदायिक आधारित कार्यों को महत्ता दी जानी चाहिए.
16. भारत सरकार द्वारा संचालित बी.ए.डी.पी. तथा बी.आर.जी.एफ. योजना से आच्छादित जनपदों में इन योजनाओं के तहत किये गये कार्यों के साथ किसी भी दशा में द्विधाभाव नही होगा तथा केन्द्र से प्राप्त धनराशि के पूर्ण उपयोग उपरांत ही इन विकास खण्डों में उत्तराखण्ड सीमांत पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि से धनराशि स्वीकृत की जायेगी.
17. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में दिये गये प्राविधान तथा नियमों के तहत इस निधि से अनुसंशित/स्वींकृत /किये गये कार्यों के बारे में आम नागरिक को किसी भी घटक /विषय पर सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अतः इस निधि से हुए कार्यों की समस्त सूचनायें सार्वजनिक की जानी चाहिए.

**योजना के नियोजन का स्वरूपः–**

1. जनपद स्तर पर योजना का नियोजन तथा कार्यान्वयन सम्बन्धित जनपदों द्वारा किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिलाधिकारी का होगा.
2. विकासखण्ड स्तर पर योजनायें प्राप्त करनें, नियोजन, कार्यान्वयन का दायित्व खंड विकास अधिकारी का होगा.

**योजना के नियोजन का स्वरूपः–**

1.इम्पावर्ड कमेटी द्वारा स्वीकृति की गई कार्ययोजना में यदि बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही हो तो ऐसी दशा में संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव को योजना बदलाव के कारणों की तर्क संगत आख्या एवं संस्तुति सहित प्रशासनिक विभाग को

प्रेषित किया जायेगा जिस पर प्रशासनिक विभाग द्वारा अध्यक्ष इम्पावर्ड कमेटी के अनुमोदनुपरांत स्वीकृति प्रदान की जायेगी.

2. मॉडल गांव के विकास हेतु एकीकृत विकास के दृष्टिगत चयनित गांव में ऐसें महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्यों को करने हेतु दिशा–निर्देशों में शिथिलता प्रदान किये जाने पर राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी विचार कर सकती है जो अन्य योजनाओं से भी किये जाते है किन्तु कतिपय कारणों से किया जाना संभव नही है. परन्तु इस हेतु कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा. ताकि प्रस्तावित मॉडल गांव को ससमय विकसित किया जा सकता है.

**केन्द्राभिसरण एवं युगपतिकरणः**

इस योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न रेखीय विभागों के योजनाओं/केन्द्रपोषित/वाह्य सहायतित/ राज्य पोषित तथा अन्य योजनाओं के साथ भी केन्द्राभिसरण/युगपतिकरण किया जायेगा.

**योजनाओं का चयन** – उत्तराखण्ड सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत किये जाने वाले क्षेत्रवार अनुमन्य और गैर अनुमन्य कार्यों की सूची निम्नवत् हैः–

**A. शिक्षाः–**

**अनुमन्य कार्य**

- प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन (अतिरिक्त कमरों सहित)
- क्रीड़ा मैदान का विकास
- छात्रावासों /शयनागारों का निर्माण
- सार्वजनिक पुस्तकालय एवं पठनकक्ष

गैर अनुमन्य कार्य–

- विद्यालयों हेतु पुस्तकों/स्कूली पोशाकों की खरीद
- वयस्क शिक्षा
- पुस्तक/पत्रिकाऐं
- टी0वी/डिश एंटिना

**B. स्वास्थ्य**

**अनुमन्य कार्य**

- पी.एच.सी./सी.एच.सी./एस.एच.सी हेतु आधारभूत ढांचे का विकास
- बुनियादी/प्रारम्भिक प्रकार के चिकित्सा उपकरणों का प्रावधान, एक्सरे , ईसीजी, मशीनों, दंत चिकित्सा क्लीनिक हेतु यंत्र, पैथोलोजी लैब आदि को क्रय भी किया जा सकता है.

सरकार/पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा टेलीमेडिसन सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सचल औषधालयों / एम्बूलेंसों की स्थापना.

**गैर अनुमन्य कार्य–**

- स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम

- नेत्र शिविर
- प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
- रक्त बैंक
- मलेरिया, फायलेरिया, कुष्ठ रोग, एड्स आदि का नियंत्रण.
- धात्रियों (मिडवाइफ) के लिए प्राथमिक उपचार किट

## C. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

**अनुमन्य कार्य**

- पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन केन्द्र
- मत्स्यपालन
- रेशम पालन
- मुर्गी पालन/मत्स्य/ सुअर/भेड़ –बकरी पालन
- वानिकी ,उद्यान, पुष्प खेती तथा कृषि
- सार्वजनिक जल निकासी सुविधायें
- सिंचाई बांधों या उत्थापन सिंचाई या सुविधाओं का निर्माण (छोटे–मोटे सिंचाई निर्माण कार्य सहित)
- जल संरक्षण कार्यक्रम
- मृदा संरक्षण–मृदा क्षरण का बचाव–बाढ़ सुरक्षा
- सामाजिक वानिकी, सरकारी एवं सामुदायिक भूमि पर बाग अथवा अन्य समर्पित भूमि पर बगीचों के विकास को प्रोत्साहन तथा इस हेतु घेरबाढ़.
- उन्नत बीजों, उर्वरक के साथ तकनीकी का उपयोग
- पशुपालन सहायता केंद्र, कृत्रिम गर्भाधान/जनन केंद्र
- अर्थ व्यवस्था के पैमाने के संदर्भ में क्षेत्र विशेष प्रयास–वैकवर्ड फारवर्ड

**गैर अनुमन्य कार्य**

- गांवों में, कस्बों और शहरों में तालाबों की डिसिलिटिंग

## D. आधारभूत संरचना

**अनुमन्य कार्य**

- पहुॅच मार्ग एवं लिंक रोड का निर्माण एवं सुढ़ृढीकरण (पुलों और पुलियों सहित)
- उद्योग– सूक्ष्म उद्योगो का विकास– स्थानीय आदानों जैसे हथकरघा, हस्तशिल्प, फर्निचर बनाने, छोटी इकाई, लौहारगिरी आदि और खाद्य प्रंस्करण उद्योग.
- नागरिक सुविधाओं के प्रावधान– जैसे बिजली, पेयजल, पैदल मार्ग, रज्जु मार्ग, पैदल पुल, झूला पुल, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण मलिन क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति बस्ती, पर्यटन केन्द्र और बस स्टैण्ड आदि के लिए.
- आधारभूत संरचनाओं का विकास– साप्ताहिक हाट/बाजार के साथ–साथ सीमान्त तथा पिछड़े क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु.

- मान्यता प्राप्त जिला अथवा राज्य खेल संघ, सांस्कृतिक खेल संघ, पी.ई.टी. संस्थान में मल्टी जिम सुविधा के प्रावधान.
- नये पर्यटन केन्द्रों का निर्माण तथा ग्रामीण पर्यटन विकास.
- मिनि स्टेडियम/इनडोर स्टेडियम/सभागारों का निर्माण.
- नवीन और नवीनीकरण बिजली–बायोगैस/बायोमास्क गैसीकरण, सौर और पवन ऊर्जा तथा लघु जल विद्युत परियोजनायें:– समुदाय के उपयोग एवं संबधित गतिविधियों के लिए उपकरण प्रणालियां.

**गैर अनुमन्य कार्य**

- व्यक्तिगत लाभ योजना.
- कब्रस्तान और श्मासान घाट में चाहारदीवारी एवं शैड का निर्माण.
- नाला/गूल/खाला की सफाई.
- तालाबों की चाहारदीवारी / सुरक्षा दीवार का निर्माण.
- कार्यालय स्थानीय निकाय, पटवारी चौकी, पंचायत घर, सरकारी कार्यालय का निर्माण और अधिकारीयों हेतु आवास का निर्माण (शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के अधिकारियों को छोड़कर).
- नाली गटर

## E. सामाजिक क्षेत्र

**अनुमन्य कार्य:**

- सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण.
- आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण.
- ग्रामीण स्वच्छता विकास केन्द्र.
- सांस्कृतिक केन्द्र/सामुदायिक हॉल.
- वृद्ध एवं विकलागों हेतु सामुदायिक गृह का निर्माण.
- व्यावसायिक क्षमता के कार्यक्रमों द्वारा दस्तकारों/बुनकारों के लिए व्यवसायिक अध्ययन तथा स्वरोजगार हेतु युवाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल में विकास करना.
- सीमावर्ती तथा पिछड़े क्षेत्रों में माडल गांवों का विकास.
- ई–चौपाल/ कृषि दुकान/सचल जनसंचार वाहन/बाजार केन्द्र.
- सकुल उपागम (Cluster approach)जहॉ संभव हो.
- आजीविका सृजन/ सामाजिक तथा आर्थिक विकास हेतु अभिनव प्रकृति की योजनाये.
- प्राकृतिक आपदा के अन्तर्गत हुई क्षति की पूर्ति हेतु सामुदायिक अवस्थापना सृजन तथा पुर्नवास के कार्य.

**गैर अनुमन्य कार्य**

- सरकारी कार्यालय भवन निर्माण, तथा अन्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकार से संबधित भवन निर्माण के कार्य.
- मेमोरियल तथा इससे संबधित कार्य.

- धार्मिक स्थलों के निर्माण कार्य.
- पूर्णतः कच्चे मार्ग निर्माण.
- व्यक्तिगत लाभ के लाभ के लिए परिसम्पत्तियों को छोड़कर जो अनुमोदित योजनाओं के भाग है.
- किसी भी टिकाऊ परिसम्पति, उन परिसम्पति के संरक्षण/उन्नयन के लिए विशेष मरम्मत कार्य को छोड़कर किसी भी प्रकार के मरम्मत तथा अनुरक्षण संबधी कार्य.
- वाणिज्यिक संगठनों, निजी संस्थाओं अथवा सहकारी संस्थानों से संबधित कार्य.
- अनुदान तथा ऋण.
- Dead stock सामाग्री का क्रय.
- भूमि के अधिग्रहण अथवा अधिगृहीत भूमि के लिये कोई भी मुवावजा राशि.